राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

हरदेई वगैरा। बनाम् धनीराम वगैरा।

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-5820 /1997
अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान.

<u>आदेश दिनांक:-</u> **नवम्बर 30, 2006**

उ प स्थि त

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा</u>

श्री जगमोहन सक्सेना, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
श्री रजत रंजन, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षीगण।

न्यायालय द्वारा-

(1) प्रार्थी/ वादीगण ने (जिन्हें आगे चलकर पूर्ववत् **' वादीगण'** सम्बोधित किया जावेगा) सहायक जिलाधीश, भरतपुर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 (जिसे आगे चलकर **'अधिनियम '** सम्बोधित किया जावेगा) की धारा-188 के अन्तर्गत एक वाद प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में सहायक जिलाधीश, भरतपुर ने 1.4.1991 को प्रतिवादी/प्रतिपक्षीगण (जिन्हें आगे चलकर पूर्ववत् **'प्रतिवादीगण'** सम्बोधित किया जावेगा) के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की थी।वादीगण ने डिक्री की इजराय हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-21 नियम- 31 के अन्तर्गत 11.8.1992 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें मनीराम पुत्र हरचन्द व बरफी देवी पत्नी हरद्वारी लाल को भी पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया था जबकि मूल वाद में वे पक्षकार नहीं थे। प्रार्थना पत्र में यह भी अनुतोष याचित किया गया था कि भूमि खसरा नम्बर-134 की खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण 4 व 5 के नाम हटाये जावे तथा वादीगण को उक्त भूमि का मौके पर भी कब्जा दिलवाया जावे। सहायक जिलाधीश, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक- 30.9.1992 द्वारा वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व

अपील प्राधिकारी, भरतपुर के यहाँ अपील प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक- 6.3.1993 द्वारा निरस्त कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालयों के उक्त निर्णयों के विरूद्व प्रतिवादीगण ने अधिनियम की धारा-230 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर (जिसे आगे चलकर '**राजस्व मण्डल** ' सम्बोधित किया जावेगा) निगरानी याचिका प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल अपने निर्णय दिनांक- 30.6.1997 द्वारा उक्त निगरानी याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि अधिनियम की धारा-188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गये वाद में इजराय न्यायालय द्वारा इजराय की कार्यवाही में अधिनियम की धारा- 88 , 89 व 183 में वर्णित अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

(2) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को आद्योपांत सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(3) निर्विवाद रूप से सहायक जिलाधीश, भरतपुर ने अधिनियम की धारा-18 8 के अन्तर्गत प्रस्तुत वादीगण का वाद डिक्री किया था एवं वादीगण के पक्ष में केवल स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, ऐसी स्थिति में इजराय न्यायालय डिक्री के इजराय की कार्यवाही में वादीगण को अधिनियम की धारा-88,89 व 183 में वर्णित अनुतोष, अधिनियम की धारा- 88,89 व 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किए बिना प्रदान नहीं कर सकता। मुझे राजस्व मण्डल के आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती। वैसे भी पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ सीमित है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने **<u>सधाना लोध बनाम् नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि.</u>** (2003 (3)S.C.C.page524) न्यायिक दृष्टान्त में मत प्रतिपादित किया है, जो निम्न प्रकार हैं:-

> "The supervisory jurisdiction conferred on the High Courts under Article 227 of the Constitution is confined only to see whether an inferior court or tribunal has proceeded within its parameters and not to correct an error apparent on the face of the record, much less of an error of law.In exercising the supervisory power under Article 227 of the Constitution , the High Court does not act as an appellate court or the tribunal. It is also not permissible to a High Court on a petition filed under Article 227 of the Constitution to review or reweigh the evidence upon which the inferior court or tribunal

purports to have passed the order or to correct errors of law in the decision."

उक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिए गये निर्देशों के दृष्टिगत मुझे इस रिट याचिका में कोई बल प्रतीत नहीं होता।

(4) परिणामत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस